

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930 No. 301] NEW DELHI, FRIDAY, MAY30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

सा.का.नि. 414(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2008 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,—
 - (i) अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 98 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात---

	जाएगा, अथात्ः				
क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानदण्ड		
1	2	2 3	4		
"99	स् यंज लौह संयंत्र (रोटरी क्लिन)	क. उत्सर्जन मानक* विविवत पदार्थ	ईंधन का प्रकार कोयला गैस	सांद्रण के लिए सीमा मा 100 मि.गा./सा.घन मी. 50 मि.गा./सा.घन मी.	
		कार्बन मोनोक्साइड (आयतन/आयतन) चिमनी की ऊंचाई ** (न्यूनतम)	कोयला/गैस कोयला/गैस	1 % 30.0 मीटर	
		टिप्पण :— * चिमनी उत्सर्जन में उत्सर्जन को 129 ** चिमनी की ऊंचाई की गणना एव है तथा क्यू सल्फर डायक्साइड (SO ₂	= 14.0 क्यू ^{6.3} के अनुसा	ग़ड़ड पर सामान्य किया जाएगा । अनुसार की जाएगी जहां एच ऊं में उत्सर्जन की मात्रा है । जैसे	
		SO ₂ (कि.गा./घंटा) 12.68 तक	30		
		12.69-33.08 33.09-69.06	40 50		
		69.07-127.80 127.81-213.63	60 70	•	

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY		[PART II—SEC, 3(i)]			
1	2	3		4		
1	(डी-डस्टिंग इकाई)	विविक्त पदार्थ	मौजूदा इकाई	नई इकाई		
		(मि.ग्रा./घन मी.)	100	50		
		टिप्पण :—				
(i) डी-डिस्टिंग इकाई से जुड़ी चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 30.0 मीटर ह						
		(iii) यदि डी-डस्टिंग इकाई आफ्टर ब	र्नर चैम्बर (ए बी सी))से जुड़ी हुई है तो, उत्सर्जन,		
	डी-डिस्टिंग इकाई के लिए उत्सर्जन प्रबोधन की व्यवस्था अलग से होने पर (न्यूनत ऊंचाई 30.0 मीटर) सांझी चिमनी के माध्यम से उत्सर्जित होंगे।					
		ख, अस्थायी उत्सर्जन मानदण्ड				
	रोटरी क्लिन/	विविक्त पदार्थ	मौजूदा इकाई	नई इकाई		
₹	ी-डस्टिंग इकाई)	(माइक्रो ग्रा./घन मी.)	3000	2000		
		टिप्पण :		•		
		(i) विद्यमान उद्योग अधिसूचना की तार	ीख से एक वर्ष पश्चात	र् 2000 माइक्रो ग्रा./घन मी.		
	के मानदण्डों का अनुपालन करेंगे ।					
	(ii) अस्थायी उत्सर्जन, अस्थायी उत्सर्जन के स्रोत से 10.0 मीटर की दूरी पर निम्नानुसार					
		प्रबोधित किए जाएंगे :—				
		क्षेत्र	प्रबोधन स्थल			
		कच्चा माल हथालन क्षेत्र	वेगन टिपल्र, स्त्र	ीन एरिया, स्थानांतरण बिं <u>द</u> ु,		
			स्टॉक बिन एरिया			
	दलित्र क्षेत्र दलित्र संयंत्र, बार		ब्रिटिंग स्क्रीन, स्थानांतरण बिंदु			
	•	कच्चा माल स्म्भरण क्षेत्र सम्भरक क्षेत्र, वि		मश्रक क्षेत्र स्थानांतरण बिंदु		
				। शीतलन विसर्जन क्षेत्र,		
	स्थानांतरण बिंदु		:			
		उत्पाद प्रसंस्करण क्षेत्र		धानी क्षेत्र, जांच संयंत्र,		
			चुम्बकीय पृथक्क	ीकरण इकाई, स्थानांतरण बिंदु		
			बड़े आकार का वि	वेसर्जन क्षेत्र, उत्पाद पृथकी-		
	करण क्षेत्र, बैगि					
				नयंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण		
	नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथ			यथावानाद्घ		
	ग. बहि:स्त्राव मानदण्ड भी एच 5.5-9.0					
		ना एव कुल निलम्बित ठोस	5.5-9.0			
		वेल और ग्रीस	100 मिली ग्रा./ली			
		रासायनिक ऑक्सीजन मांग	10 मिली ग्रा./लीट	•		
		रिप्पण:-	250 मिली ग्रा./ली	टर		
			707 · m	·		
		(i) जल के पुन: प्रयोग और पुन: चक्रण प्रयास किए जाएंगे ।	। तथा शुन्य बाहःस्त्राव	बनाए रखन क लिए सभी		
	प्रयास किए जाएग । (ii) बहि:स्राव में वर्षा जल के सम्मिश्रण से बचने के लिए उद्योग के प्रागंण में वर्षा ज			उन्होत हो गामंग में चर्च —		
	निकासी हेतु नालियाँ बनाई जायें ।					
	ा नाम कर्या कर्या मानि भागा					

[फा. सं. क्यू-15017/95/2000-सीपीडब्ल्यू (पार्ट)]

आर.के.वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:-मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 433 (अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(अ) तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3(अ) तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190(अ) तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913 (अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 12 (अ) तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (अ) तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23 (अ) तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93 (अ) तारीख 21 फरवरी, 1991, सा. का. नि. 95 (अ) तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329 (अ) तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475 (अ) तारीख 5 मई, 1992, सा. का. नि.797(अ) तारीख । अक्तूबर, 1992, सा. का. नि. 386 (अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ) तारीख 19 मई,1993, सा.का.नि. 801(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176(अ) तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631(अ) तारीख 31 अक्तूबर 1997, सा.का.नि. 504(अ) तारीख 20 अगस्त, 1998, और सा.का.नि. 7(अ) तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682(अ) तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72(अ) तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54(अ) तारीख, 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371(अ) तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489(अ) तारीख 9 जुलाई 2002, का.आ. 1088 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और सा.का.नि. 849(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520(अ) तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92(अ) तारीख 29 जनवरी 2004, सा.का.नि. 448(अ) तारीख 12 जुलाई, 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520 (अ) तारीख 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272 (अ) तारीख 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315(अ) तारीख 16 मई, 2005, सा.का.नि. 546(अ) तारीख 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 46(अ) तारीख 3 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 464(अ) तारीख, 7 अगस्त, 2006 और सा.का.नि. 566 (अ) तारीख 29 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 704 (अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 सा.का.नि. 186(अ), तारीख 18 मार्च, 2008, सा.का.नि. 280(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008 और सा.का.नि. 344 (अ), तारीख 7 मई, 2008 द्वारा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2008

G.S.R. 414(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fourth Amendment Rules, 2008.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,-
 - (i) in schedule I, after serial number 98 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard		
1	2	3 .	4		
"99	Sponge Iron Plant		A. Emission Standards*		
	(Rotary Kiln)	Particulate matter	Fuel Type	Limiting value for concentration	
			coal	100 mg/Nm ³	
			gas	50 mg/Nm ³	
		Carbon Monoxide	coal/gas	1%	
		(Vol./Vol.)	•		
		Stack Height**(minimum)	coal/gas	30.0 m	
		Note: —			
		* Emission shall be normalized at 12% CO, in stack emission.			
		** Stack height shall be calcul	ated as H=14.0 Q 0.3 wh	ere Q is emission of	
		Sulphar Dioxide (SO,) in kg./hr. i.e.			
		SO, (kg/hr)	Height (metre)		
		up to 12.68	30		
		12.69—33.08	40		
	•	33.09—69.06	50		
		69,07127.80	60		
		127.81-213.63	70		
	(De-dusting unit)	Particulate matter (mg/m³)	Exiting unit 100	New unit 50	
	•	Note:—		•	
		 Stack attached to de-dusting unit shall have minimum height of 30.0 metre. 			
		(ii) If, De-dusting unit is connected to After Burner Chamber (Al emission shall be emitted through common stack (minimum height			

dusting unit.

metre) having separate arrangements for emission monitoring for de-

1	2	3		4	
	B. Fugitive Emission Standards				
	(Rotary Kiln/De-	Particulate matter	Exiting unit	New unit	
	dusting unit)	(μg/m³)	3000	2000	
		Note:—			
		 (i) the existing industry shall comply with a standard of 2000 μg/m³ after one year from the date of notification. (ii) Fugitive emission shall be monitored at a distance 10.0 metre from the source of fugitive emission as per following: 			
		Area	Monitoring location		
	Raw material handling area Wa		Wagon tipple	Wagon tippler, Screen area, Transfer to the stock bin area	
		Crusher area	Crushing plant, vibrating screen, transfer points		
		Raw material feed area	Feeder area, M	ixing area, Transfer points	
		Cooler discharge area	Over size discharge area, Transfer poi		
		Product processing area	Intermediate stock bin area, Screening plant, Magnetic separation unit, Transfer points, Over size discharge area, Product separation area, Bagging area		
	·	Other areas	_	State Pollution Control	
		o not in one		n Control Committee	
		C. Effluent Standards			
		р Н	5.5—9.0		
		Total suspended solids	1 00 mg/l		
		Oil & grease	10 mg/I		
		Chemical oxygen demand	250 mg/l		
		Note:			
		 (i) All efforts shall be made to reuse and re-circulate the water and to maintain 'Zero discharge'. 			
			[F. No. C)-15017/95/2000-CPW (Pt.)]	
				D V MAICH It Com	

R.K.VAISH, Jt. Secv.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O.844 (E) dated 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January, 1990, G.S.R.742(E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991, G.S.R 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R.631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7 (E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E) dated the 1st July, 2003, G.S.R. 92(E) dated the 29th January, 2004, G.S.R. 448(E) dated the 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520(E) dated the 12th August, 2004, G.S.R. 272(E) dated the 5th May, 2005, G.S.R. 315(E) dated the 16th May, 2005, G.S.R. 546(E) dated the 30th August, 2005, G.S.R. 46(E) dated the 3rd February, 2006, G.S.R. 464(E) dated the 7th August, 2006, G.S.R. 566(E) dated the 29th August, 2007, G.S.R. 704(E) dated the 12th November, 2007, G.S.R. 186(E) dated the 18th March, 2008, G.S.R. 280(E) dated the 11th April, 2008 and G.S.R. 344(E) dated the 7th May, 2008.